


राजस्व मण्डल ग्वालियर शाखा रोवा

म०प्र०



RS144-II/17

सिराजुददीन तय मो० इसुफुम 75 साल निवासी ग्राम हटवा
चक नं० 1 थाना गौड़पुर तहसील हनुमाना जिला रोवा म०प्र०

निगरानीकर्ता

अदि० श्री राम० के मिश्रा,
बारा पेशा 103-4-17

काम

बलक आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर शाखा म०प्र०
(सर्किल कोर्ट) रोवा

2: मो० हुसेन पिता समसुददीन साठ हटवा चक नं० 1

तहसील हनुमाना जिला रोवा म०प्र० निगरानीकर्ता

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी मज्जाज
हनुमाना द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 86ए3/15
में पारित आदेशांक 3/3/2017 के
बिस्व म०प्र० राजस्व संहिता की धारा
50 के अधीन निगरानी प्रकरण

मानियवर,

निगरानी के आधार निम्न है

संक्षिप्त तथ्य :- ग्राम हटवा चक नम्बर एक तहसील हनुमाना
जिला रोवा की भूमि खसरा क्रमांक 502 रकबा 1-63 ए० के
पूर्व भूमिस्वामी मो० इसुफुमक शय 1 वर्ष 1977 में रजिस्टर्ड बिक्रय
पत्र के द्वारा मो० इसुफुमक शय ने सडक के लिये शासन म०प्र० के हक
में 0-55 हि० भूमि बिक्री कर दिया है। किंतु शासन म०प्र० की


Amir
3/4/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5144-II/17

जिला-रीवा

सिराजुद्दीन/शासन, मो० हुसैन

(1)	(2)	(3)
25.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

